FORM NO. III

फर्द अहकाम

सहायक कलेक्टर, [illegible]

(नियम 24)

केसाराम मुकाम

बनाम TDP [illegible]

18/ [illegible] 295 सन 2014

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]/17	[illegible] 19/1/17 (हस्ताक्षर) [illegible] चौहिकर	
[illegible]/1/17	[illegible] 24/1/17 (हस्ताक्षर)	
20/1/17	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार निर्णय पुराने से लिया जाकर मिसल शामिल है। वाकया रेकार्ड के अनुसार प्रार्थी का नाम किशनाराम पि अमराराम के स्थान पर कुम्भाराम पि अमराराम दर्ज हो सकता है। तहसीलदार को निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो [illegible] होकर दफ्तर दाखिल हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:35:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, [illegible]

न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी:— श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या:— 295/2019

प्रार्थी:—

केसाराम पुत्र श्री मदाराम, जाति प्रजापत, निवासी चण्डालिया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी:— श्रीमान् तहसीलदार तिंवरी।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामकिशोर ओझा

—:निर्णय:—

दिनांक 24/9/19

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :— प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 151/4 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 225/4 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसारा नम्बर 233 रकबा 04 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 234/4 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 268/4 रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा ग्राम चण्डालीया पटवार हल्का पांचला खुर्द, तहसील तिंवरी की सरहद में आई हुई है। उक्त भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूलवश प्रार्थी का नाम किशनाराम पि. मदाराम दर्ज कर दिया जो गलत है। जबकि प्रार्थी का सही नाम केसाराम पुत्र श्री मदाराम है तथा प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेज राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पेनकार्ड इत्यादि में नाम केसाराम दर्ज है तथा ग्राम चण्डालीयां की

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:35:02 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 220/2 के राजस्व रेकर्ड भी नाम केशाराम पि मदाराम दर्ज है। मात्र राजस्व कर्मचारियो की भूलवश उपरोक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम किशनाराम पुत्र मदाराम दर्ज कर दिया गया जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे भी उसी अनुसार दर्ज है। जो एक सद्भाविक भूल है। राजस्व रेकर्ड मे रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को अनेको समस्याओ का सामना करना पड रहा है। राजस्व रेकर्ड व अन्य दस्तावेजो मे प्रार्थी के नाम मे एकरूपता नही होने की वजह से प्रार्थी अपनी भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने बैंक ऋण लेने में भयंकर कठिनाई का सामना करना पड रहा है। इसलिए प्रार्थी ने मजबुरन यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 151/4 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 225/4 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 233 रकबा 04 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 234/4 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 268/4 रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा ग्राम चण्डालीया पटवार हल्का पांचला खुर्द, तहसील तिवरी में प्रार्थी का नाम किशनाराम पि. मदाराम दर्ज है जो गलत है उसके स्थान पर सही नाम केसाराम पि. मदाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश किया जिसमे प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम किशनाराम पि मदाराम के स्थान पर केसाराम पि. मदाराम दर्ज करने हेतु अनुशषा की। अप्रार्थी का जवाब रेकर्ड पर लिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:35:02 IST
Reason: SelfAttested